

अंतरराष्ट्रीय मान्यताएँ

डब्ल्यूटीओ काररानामों के प्रावधानों के तहत, विशेष रूप से एसपीएस करारनामा, अनेक भारतीय व्यापारियों के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित आयात नियंत्रण प्रणालियाँ अधिरोपित की हैं, खास तौर पर निर्यात के क्षेत्र हैं। इन समझौतों के आयात नियंत्रण की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मध्यम व्यापारिक भागीदारों को निर्यात प्रमाणन प्रणाली की मान्यता भी दी गई है। भारत का आधिकारिक प्रमाणन निकाय होने के नाते निनिप ने प्रमाणन की मान्यता के लिए अनेक भारतीय व्यापारिक भागीदारी के साथ बातचीत शुरू की है।

वर्तमान में निम्नलिखित क्षेत्रों में निनिप के प्रमाणन को मान्यता दी गई है:

(1)	यूरोपीय आयोग द्वारा बासमती चावल (विश्वसनीयता प्रमाणपत्र के लिए)
(2)	यूनाइटेड स्टेट्स फूड इण्ड इंडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) द्वारा काली मिर्च (जिसके अनुसार भारत से काली मिर्च के कोई परेषण यदि निनिप प्रमाणपत्र के बिना आएं तो अमेरिका में उनके आने पर उन्हें रोक लिया जाता है)
(3)	यूरोपीय आयोग द्वारा मत्स्य और मत्स्य उत्पाद (जिसके अनुसार यूरोपीय संघ को आयात के लिए प्रसंसाधन इकाइयों को विशेष रूप से अनुमोदित किया जाएगा और अनुमोदित इकाइयों के नाम औपचारित अधिसूचना के लिए यूरोपीय आयोग को भेजे जाएंगे, जिसके बाद वे यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात कर सकता है)।
(4)	ऑस्ट्रेलियन क्वारंटाइन एण्ड इंस्पेक्शन सर्विस (एक्यूआईएस) जो ऑस्ट्रेलिया की शासकीय निर्यात नियंत्रण एजेंसी द्वारा मत्स्य और मत्स्य उत्पाद (जिसके अनुसार निनिप के प्रमाणपत्रों सहित भारत से आने वाले समुद्री खाद्य पदार्थों के परेषणों का केवल यादृच्छिक सत्यापन किया जाएगा और यह परेषणों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा निनिप द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र स्वीकार किए जाएंगे।)

(5)	दुर्घट उत्पादों, फल और सब्जी के उत्पादों, घरेलू बिजली के उपकरणों तथा स्थिरों, इस्पात और इस्पात उत्पादों, बिजली के केबल तथा सीमेंट आदि सहित 85 मर्दों के लिए, जो श्रीलंका की निर्यात निरीक्षण योजना के तहत शामिल हैं, जिन्हें श्रीलंका स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट (एसएलएसआई) द्वारा प्रचालित किया जा रहा है। (जिसके अनुसार जब इन मर्दों के साथ निनिप के निरीक्षण प्रमाणपत्र थे तो श्रीलंका में इनके आयात पर वहाँ के प्राधिकारियों द्वारा आगे कोई परीक्षण नहीं किया जाएगा)।
(6)	विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए जिनमें हिमशीतित समुद्री उत्पाद, जैम, संरक्षित वस्तुएँ, सौंस, चीनी का सिरप, खाद्य तेल और वसा आदि शामिल हैं, इन्हें कोरिया फूड एण्ड इंग एडमिनिस्ट्रेशन (केएफडीए) द्वारा अनुमोदित विदेशी आधिकृत निरीक्षण संगठन योजना के तहत किया गया है।
(7)	टर्किश कस्टम्स प्राधिकरण द्वारा खाद्य उत्पाद और खाद्य पैकेजिंग सामग्री
(8)	जापानी स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पोल्ट्री मॉस और इसके उत्पाद।
(9)	चीनी द्वारा लौह अयस्क और गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोधन का सामान्य प्रशासन।
(10)	सिंगापुर द्वारा अण्डे, पैकेजबंद पेय जल, दवाएँ और भैषजिकी, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिकी उत्पाद।
(11)	इटली द्वारा मत्स्य और जल संवर्धन उत्पाद